

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1489

शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक नीति का कार्यान्वयन और निवेश प्रस्तावों को मंजूरी

1489. श्री सज्जाद अहमद किचलू:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है, जिसमें स्वीकृत, स्थापित तथा परिचालनरत निवेश प्रस्ताव भी शामिल हैं;
- (ख) विगत पाँच वर्षों के दौरान औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों, राजसहायताओं और आवंटित भूमि का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकारी प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के बाद निरस्त, विलंबित अथवा गैर परिचालनरत पाई गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है, साथ ही सार्वजनिक धन की वसूली के लिए क्या कार्रवाई की गई है तथा क्या निवेश प्रतिबद्धताओं की तुलना में वास्तविक रोजगार सृजन के सत्यापन हेतु कोई स्वतंत्र संपरीक्षा की गई है, यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

- (क): औद्योगिक क्षेत्र के विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय अपनाती हैं। केन्द्र सरकार देशभर में उद्योग के समग्र विकास और संवर्धन के लिए विभिन्न स्कीमों, कार्यक्रमों और नीतिगत पहलों के माध्यम से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है।

संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 को अधिसूचित किया है तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा यह संसूचित किया गया है कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30 की अधिसूचना के बाद, जून, 2026 तक, जम्मू-कश्मीर में 16510.54 करोड़ रुपए के निवेश वाली कुल 1617

औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिससे 36702 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजित हुआ है।

इसके अलावा, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से जम्मू-कश्मीर के लिए विशेष पैकेज I और II, औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस), 2021 जैसी विभिन्न स्कीमों को कार्यान्वित किया है। एनसीएसएस, 2021 के तहत, कुल 918 आवेदनों को पंजीकरण प्रदान किया गया है, जिसमें 347 नई इकाइयां, 520 मौजूदा इकाइयां और 51 पर्याप्त विस्तार कर रही मौजूदा इकाइयां शामिल हैं। 347 पंजीकृत नई इकाइयों में से, 292 इकाइयों ने वास्तविक आधार पर निवेश किया है और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है।

(ख): पिछले पांच वित्त वर्षों में उपर्युक्त स्कीमों के तहत इकाइयों को संवितरित राशि निम्नानुसार है:

स्कीम-वार संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)				
क्रम सं.	वित्त वर्ष	विशेष पैकेज I और II	आईडीएस, 2017	एनसीएसएस, 2021
1	2021-22	28.33	40.09	-
2	2022-23	8.46	8.28	44.10
3	2023-24	3.54	28.41	160.15
4	2024-25	0.95	23.24	200.09
5	2025-26	-	4.47	399.66
कुल		41.28	104.49	804.00

इसके अतिरिक्त, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर ने संसूचित किया है कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिक नीति, 2021-30 के तहत, कारोबार के आधार पर प्रोत्साहन, डीजी सेट के लिए प्रोत्साहन, लैब टेस्टिंग/पीसीडी/गुणवत्ता प्रमाण पत्र तथा अन्य संबंधित प्रोत्साहनों जैसे विभिन्न घटकों के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन घटकों के अंतर्गत, पिछले पांच वर्षों के दौरान कुल 191.23 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई

है। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को 9,432.70 कनाल भूमि आवंटित की गई है।

(ग): आईडीएस, 2017 और एनसीएसएस, 2021 के तहत लाभ उठाने वाली 4 इकाइयां इन स्कीमों के तहत प्रोत्साहन का लाभ उठाने के बाद गैर-परिचालनरत (गैर-पंजीकृत) हो गई हैं। इन इकाइयों से ब्याज सहित संवितरित राशि वसूल की गई है। निवेश प्रतिबद्धताओं के आधार पर वास्तविक रोजगार सृजन को सत्यापित करने के लिए कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षा नहीं की गई है।
